न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या–77/2011 एवं 18/2016 जिला सीकर

मदन लाल पुत्र भगवान सहाय जाति माली, निवासी ढाणी भरण तन थोई जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कमला देवी पत्नी केदारमल
2. बसन्ती देवी पत्नी बंशीधर
   जाति माली, निवासी ढाणी भरण तन थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
3. ग्रम पंचायत थोई जरिये सरपंच

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 18.10.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री शिवराज शर्मा
3.

अपील संख्या – 18/2016 जिला सीकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. कमला देवी पत्नी केदारमल
2. बसन्ती देवी पत्नी बंशीधर
   जाति माली, निवासी ढाणी भरण तन थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मदन लाल पुत्र भगवान सहाय जाति माली, निवासी ढाणी भरण तन थोई, जिला सीकर (राजस्थान)
2. बनवारी लाल पुत्र श्री कजोड मल माली, जाति सैनी, निवासी ढाणी त्रिलोकसिंह वाली तन चौकडी, तहसील श्रीमाधोपुर , जिला सीकर (राजस्थान)
3. तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 16.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री शिवराज शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक 5.3.2019

यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 एवं अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 16.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1453, 1454, 1455 (कुआ), 1456, 1457 कुल किता 5 कुल रकबा 3.67 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से का खातेदार बनवारी लाल पुत्र कजोड कौम माली था । खातेदार बनवारी लाल ने भूमि में से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.2.2009 से कमला देवी पत्नी केदारमल व बसन्ती देवी पत्नी बंशीधर जाति माली को विक्रय कर दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 1055 केता कमला देवी व बसन्ती देवी के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत थोई ने दिनांक 24.9.2009 को निरस्त कर दिया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त नामांतरकरण संख्या 1055 दिनांक 24.9.2009 से व्यथित होकर कमला देवी व बसन्ती देवी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 18.10.2011 द्वारा सभी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील संख्या 77/2011 अपीलान्ट मदन लाल द्वारा प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 18.10. 2011 निरस्त किया जाकर दावे के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित किये जाने की प्रार्थना की ।

दूसरी अपील संख्या 18/2016 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.10.2011 द्वारा नामांतरकरण संख्या 1055 दिनांक 24.9.2009 की अपील में प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने पर उप

खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 विक्रय पत्र दिनांक 26.2.2009 के आधार पर विक्रेता बनवारी लाल के स्थान पर क्रेता कमला देवी व बसन्ती देवी के नाम तस्दीक कर दिया जबकि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.10.2011 के खिलाफ उपरोक्त अपील संख्या 77/2011 में न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने दिनांक 28.12.2011 को उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति स्थगित करते हुये राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे । उक्त नामांतरकरण संख्या 30 से व्यथित होकर मदन लाल द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.6.2015 पारित किया कि नामांतरकरण संख्या 1055 का निर्णय उप खण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया व सुनवाई हेतु निर्णय दिनांक 18.10.2011 के द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति अति. सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.12.2011 द्वारा स्थगित कर दी गई थी । नामांतरकरण संख्या 30 की प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि यह नामांतरकरण दिनांक 25.1.2012 को पटवारी द्वारा दर्ज किया गया तथा इसी तिथि को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच की गई व इसी दिन तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया । अर्थात दिनांक 25.1.2012 को न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त का स्थगन प्रभावी होने के कारण चुनौतिग्रस्त नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं था । इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 1055 को रिमाण्ड करने के उप खण्ड अधिकारी के निर्णय में पक्षकारों की विधिवत सुनवाई करने के निर्देशों की पालना भी नहीं हुई है । इसके अलावा नियमानुसार नामांतरकरण संख्या 1055 पर ही नवीन आदेश पारित किया जाना चाहिये था तथा नवीन नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी । अतः उपरोक्त कारणों से नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज किया जाना विधि विधान के नितान्त विपरीत होने से चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 25.1.2012 अपास्त किया जाता है ।

अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.6.2015 से व्यथित होकर विवादित भूमि की क्रेता अपीलान्ट कमला देवी व बसन्ती देवी द्वारा यह अपील संख्या 18/2016 प्रस्तुत कर स्वीकार करने व अपीलाधीन निर्णय अति. कलक्टर सीकर दिनांक 16.6.2015 निरस्त करने व तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 बदस्तूर कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी में अपीलान्ट मदन लाल की ओर से एवं अपील संख्या 18/2016 उनवानी कमला देवी बनाम मदन लाल में रेस्पोंडेन्ट मदन लाल की ओर अधिवक्ता श्याम बाबू पारीक ने

बहस के दौरान अपील संख्या 77/2011 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार महादेव पुत्र बालूराम माली था जिसके द्वारा विवादित भूमि अपीलान्ट मदन लाल व उसके भाई गोपीराम, पूर्णमल, मोती लाल को दिनांक 28.7.1966 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी थी तथा पंजीयन उप पंजीयक से दिनांक 2.8.1966 को हुआ ओर इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 186 दिनांक 25. 6.1967 को उक्त क्रेताओं के नाम तस्दीक हुआ और वे 1/4 –1/4 भाग के खातेदार हो गये । भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से साज कर अपीलान्ट का नाम बिना किसी आधार व अधिकार के राजस्व अभिलेख से हटवा कर तीनों भाइयों ने 1/3–1/3 हिस्से का इन्द्राज अपने नाम करवा लिया । उक्त 1/3–1/3 हिस्से के इन्द्राज के बाद मोतीराम उर्फ मोती लाल ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि बनवारी लाल पुत्र कजोड को दिनांक 7.5.1990 को विक्रय कर दी ओर बनवारी लाल ने 1/3 भाग में से 1/2 भाग की भूमि रखकर रेस्पोंडेन्ट कमला व बसन्ती को विक्रय करदी । इसकी जानकारी अपीलान्ट मदन लाल को होने पर जरिये इस्तगासा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 270/06 दर्ज करवाई व नामांतरकरण की अपील उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को की, जो स्वीकार हुई व एक दावा भी उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया था, जो जेरकार है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने प्रकरण के तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं पर तथा विवादित भूमि पर कब्जे के बिन्दू पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व जवाब पर कोई गोर नहीं किया । विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य हक हकूकों का दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने एवं फौजदारी कार्यवाही के चलते ग्रम पंचायत ने प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारों के मध्य हक हकूकों के संबंध में दावा विचाराधीन हो तो दावे के निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित नहीं कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड करने में विधिक भूल की है । उनका यह भी कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश बहुत ही संक्षिप्त रूप से आदेशिका पर ही अंकित किया है जो स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील संख्या 77/2011 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 18.10.2011 निरस्त किया जाकर दावे के निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाने की प्रार्थना की ।

अपील संख्या 18/2016 के संबंध में रेस्पोंडेन्ट की ओर से उनका कहना था कि नामांतरकरण संख्या 1055 जो क्रेताओं के नाम ग्रम पंचायत द्वारा

निरस्त किया गया था, की अपील में उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 18.10.2011 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को सभी की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया था । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील संख्या 77/2011 में न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने दिनांक 28.12.2011 को उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति स्थगित करते हुये राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था , लेकिन उक्त स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुये तहसीलदार ने उप खण्ड अधिकारी के निर्णय पर नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 को क्रेताओं के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार को नामांतरकरण संख्या 1055 के रिमाण्ड प्रकरण में इसी नामांतरकरण पर नवीन आदेश पारित करने चाहिये थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा नया नामांतरकरण संख्या 30 भराकर तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 के विरूद्ध मदन लाल की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.6.2015 द्वारा उक्त आधारों पर प्रश्नगत नामांतरकरण अपास्त किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील संख्या 18/2016 सारहीन होन से खारिज की जावे ।

अपील संख्या 18/2016 उनवानी कमला देवी बनाम मदन लाल में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी में रेस्पोंडेन्ट कमला देवी के अधिवक्ता श्री शिवराज शर्मा ने अपील संख्या 18/2016 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट कमला व बसन्ती ने खातेदार बनवारी लाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी ओर कब्जा प्राप्त कर काश्त कर रहे हैं व मकानात बना रखे हैं । खातेदार बनवारी 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज काश्त है । उनका कहना था कि यदि मदन लाल का दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज भी 1/4 हिस्से के बाबत डिक्री होता है तो गोपी, पूरण की 1/3 हिस्से व बनवारी की 1/4 हिस्से , मदन लाल की जमीन कुल रकबे की 1/4 हिस्से की शेष रहती है । इस प्रकार बिना किसी विवाद के नामांतरकरण संख्या 30 की रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की अपील पर अपर जिला कलक्टर ने सही प्रकार से तथ्यों को नहीं समझकर मंजूर की है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 के खिलाफ अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जिसमें उप खण्ड अधिकारी के आदेश की क्रियान्विति दिनांक 28.12.2011 को स्थगित की थी , लेकिन अपील में न तो तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पक्षकार बनाया गया था और न ही आदेश तहसीलदार के नाम से जारी हुआ । स्थगन आदेश की सूचना तहसीलदार को दिया जाना आवश्यक था , लेकिन रेस्पोंडेन्ट द्वारा तहसीलदार को सूचना नहीं देने में कानूनी गलती की है । स्थगन आदेश एक तरफा में अपीलान्ट की तामिल हुये बिना ही

प्रतिलिपि
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि रेकार्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा भूमि पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नामांतरकरण संख्या 30 तस्दीक किया है । नामांतरकरण संख्या 1055 एवं नामांतरकरण संख्या 30 से रेस्पोंडेन्ट मदन लाल के दुरूस्ती के दावे में यदि अपीलान्ट का दावा 1/4 हिस्स बाबत डिक्री होता है तो 1/4 हिस्से की जमीन आज भी रेस्पोंडेन्ट के खाते में शेष बचती है । इस प्रकार दौराने वाद इन नामांतरकरणों से रेस्पोंडेन्ट नं. 1 मदन लाल का कोई नुकसान नहीं है , केवल अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना पारित कर तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 निरस्त किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 16.6.2015 निरस्त किया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 बदस्तूर कायम रखा जावे तथा अपील संख्या 77/11 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 18.10.2011 यथावत रखा जावे । अपने कथनों के समर्थन में 2014 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 714 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत नजीरों पर पर मनन किया । प्रकरण में मुख्य विवाद विवादित भूमि की केता कमला व बसन्ती के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामांतरकरण संख्या 1055 को ग्रम पंचायत थोई द्वारा खारिज किये जाने पर उसके खिलाफ केता कमला व बसन्ती की अपील उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 18.10.2011 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को सभी को सुनकर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय के खिलाफ मदन लाल द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी में दिनांक 28.12.2011 को उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी गई थी , लेकिन स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुये तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण में केता कमला व बसन्ती के नाम नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 को स्वीकृत कर दिया जिसके खिलाफ मदन लाल की अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.6.2015 द्वारा नामांतरकरण संख्या 1055 का निर्णय उप खण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर सुनवाई हेतु निर्णय दिनांक 18.10.2011 के द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति अति. सम्भागीय आयुक्त के आदेश

दिनांक 28.12.2011 द्वारा स्थगित कर दिये जाने से नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 को पटवारी द्वारा दर्ज किया गया तथा इसी तिथि को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच की गई व इसी दिन तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर दिया गया । अर्थात दिनांक 25.1.2012 को न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त का स्थगन प्रभावी होने के कारण चुनौतिग्रस्त नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं होने तथा इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 1055 को रिमाण्ड करने के उप खण्ड अधिकारी के निर्णय में पक्षकारों की विधिवत सुनवाई करने के निर्देशों की पालना भी नहीं होने व इसके अलावा नियमानुसार नामांतरकरण संया 1055 पर ही नवीन आदेश पारित किया जाना चाहिये था तथा नवीन नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी । उपरोक्त कारणों से नामांतरकरण संख्या 30 दर्ज किया जाना विधि विधान के नितान्त विपरीत होने से चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 25.1.2012 अपास्त किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि नामांतरकरण संख्या 1055 दिनांक 24.9.2009 की अपील में उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2011 की अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2011 को अन्तरिम आदेश पारित कर दिनांक 31.1.2012 तक उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.10.2011 की क्रियान्विति स्थगित करते हुये हुये राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी थी । इस न्यायालय के स्थगन के बावजूद तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नया नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 को केता कमला देवी व बसन्ती देवी के नाम तस्दीक कर दिया , जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 के खिलाफ मदन लाल की अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 16.6.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 25.1.2012 विधि विधान के नितान्त विपरीत होने से अपास्त किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता एवं इसके खिलाफ अपील संख्या 18/2016 उनवानी कमला देवी बनाम मदन लाल खारिज किये जाने योग्य है तथा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2011 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी में हम समझते हैं कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील संख्या 18/2016 उनवानी कमला देवी बनाम मदन लाल खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 77/2011 उनवानी मदन लाल बनाम कमला देवी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के

परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर